संख्या: 10 /2019/ 2275 /46-3-19-2511/2013

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 07 दिसम्बर, 2019

विषयः- **पेराई सत्र 2019-20 में क्रय किये जाने वाले गन्ने की कुल मात्रा पर चीनी मिलों के द्वारा, गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को दिये जाने वाले अंशदान की दर निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि गन्ना कृषकों / सहकारी गन्ना विकास समितियों के हित के दृष्टिगत पेराई सत्र 2019-20 हेतु चीनी मिलों के द्वारा, गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को दिये जाने वाले अंशदान की दर अंकन रु.5.50 प्रति कुन्टल निर्धारित किया जाय। तद्नुसार उक्त निर्धारित दर के अनुसार पेराई सत्र 2019-20 में अंशदान का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा किया जायेगा।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं इसके संबंध में उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-49 में संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या: 10 /2019 / 2275 (1)/46-3-19-2511/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम / द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (उन जनपदों में जहाँ चीनी मिलें स्थित हैं।)
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
6. समस्त उप गन्ना आयुक्त / उप चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
7. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।
9. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।